न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 62/2019
दायर दिनांक : 13/09/2019
निर्णय दिनांक : 19/12/2024

उनवान

1. चामुण्ड़ा माता जरिये संरक्षक रामेश्वरप्रसाद त्रिपाठी निवासी कपासन

वादी

बनाम

1. गोविन्दलाल पिता शंकरलाल जाट निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
2. गणेशलाल पिता मोहनलाल जाट निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
3. मुकेश कुमार पिता मांगू जाट निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
4. रोशन पिता शंकरलाल जाट निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
5. तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा– 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः– 1. श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच, अधिवक्ता वादी

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् कब्जेयाबी व खातेदारी अधिकार की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :

यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजियात ग्राम रावतिया तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है। जिसके वादी के खाता सं. 432 के आ.सं. 1218 रकबा 0.21 हे. के प्रतिवादीगण पडौसी हैं, जिनकी आराजी सं. 1216 व 1217 है, वादी द्वारा अपने आ.सं. 1218 की सीमा जानकारी व पत्थरगढ़ी दिनांक 11.06.2019 को कराई, जिसमें प्रतिवादीगण की आ.सं. 1216 व 1217 के पडौसी खातेदार हैं, जिनका कब्जा आ.सं. 1218 की पूर्वी मेड पर चार मीटर भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पनती में आया है जिनको वादी द्वारा कब्जा छोडने के लिये कहा तो मना कर दिया। इसलिए पत्थरगढ़ी के मौके पर्चे अनुसार प्रतिवादीगण का आ.सं. 1218 की पूर्वी मेड पर चार मीटर भूमि पर कब्जा अवैध व अतिक्रमी की श्रेणी में है इसलिए कब्जा हटाने हेतु वादपत्र प्रस्तुत है। यह कि पत्थरगढ़ी की नपती वक्त प्र[illegible] उपस्थित थे, जिनके हस्ताक्षर मौके पर्चे पर हैं प्रतिवादीगण को उस समय [illegible] आ.सं. 1218 की पूर्वी मेड पर चार मीटर भूमि पर कब्जा है लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं [illegible]। प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त नंबरान से अपने उपरोक्त आ.सं. 1218 पर अतिक्रमण कर कब्जा कर [illegible] है जिसको नहीं हटाया गया तो वादी को अपने हक अधिकार व उपयोग उपभोग से वंचित होना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:28:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

रुपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। वादी की आराजियात पर प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है जिसको हटाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह वाद पेश है। अतः वादी की प्रार्थना है कि पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण कब्जेयाबी की डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि आ.सं. 1218 की पूर्वी मेड पर चार मीटर भूमि पर से प्रतिवादीगण का कब्जा हटा कर वादी को सिपूर्द कराने हेतु कब्जेयाबी की डिक्री पारित कराई जावे। पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की फरमाई जाये कि कब्जेयाबी के बाद पुनः प्रतिवादीगण किसी भी तरह से स्वयं या अपने नौकर, एजेन्ट से पुनः कब्जा नहीं करें हस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने की डिक्री फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण को बाद सूचना उपस्थित आने एवं जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने से दिनांक 03.04.2024 को कार्यवाही एकतरफा की गई। वादी की ओर से साक्ष्य में वादी पी.डब्ल्यू. 1 में वादी रामेश्वरप्रसाद का शपथ पत्र पेश हुआ एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2074–77, प्रदर्श 2 जमाबंदी सम्वत 2074–2077, प्रदर्श 3 जमाबंदी सम्वत 2074–2077, प्रदर्श 4 जमाबंदी सम्वत 2074–2077, प्रदर्श 5 नक्शा ट्रेस मौजा रावतिया, प्रदर्श 6 मौका पर्चा दिनांक 11.06.2019 वादीगणों की ओर से पेश किये गये। वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई, जिनके द्वारा दावे में वर्णित तथ्यों को दोहरान किया। वकील वादी ने वाद वर्णित आ.सं. 1218 का उल्लेख करते हुऐ पर्चा मौका दिनांक 11.06.2019 का दोहरान किया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में वर्णित तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्य सामग्री दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा वाद के संलग्न दस्तावेजों से वादर्णित आराजियात, वादीगण के शपथ–पत्र, उक्त दस्तावेजों एवं साक्ष्य के शपथ–पत्र व वकील वादी की बहस के आधार पर वादीगण का वाद अंर्तगत धारा– 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम रावतिया की आ.सं. 1218 की पूर्वी मेड पर चार मीटर भूमि पर से प्रतिवादीगण का कब्जा हटा कर वादी को सिपूर्द करावे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Purnit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:28:45 IST
Reason: SelfAttested

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर